–:: उनवान ::–

1 एसोसियेटेड स्टोन इण्ड0 कोटा लि0 कुदायला औद्योगिक क्षैत्र रामगंजमंडी जिला कोटा राज0 जर्ये पावर आफ एर्टोनी होल्डर संतोष कुमार मरच्या सीनियर मेनेजर लॉ

प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1 राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगंजमंडी
2 वीरमलाल आत्मज पन्ना जाति मेघवाल
3 भेंरूलाल आत्मज रूपलाल जाति मेघवाल

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल0आर0 एक्ट
बाबत शुद्व किये जाने राजस्व अभिलेख ग्राम कुंभकोट

उपस्थित अधिवक्ता
1. श्री जितेन्द्र भारती
2. श्री धीरज गुप्ता

–:: निर्णय :–

प्रार्थी कंपनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि,

1 यह कि प्रार्थी कम्पनी कंपनीज अधिनियम के अर्न्तगत एक पंजीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, जिसका कार्यालय कुदायला औद्योगिक क्षैत्र रामगंजमंडी में स्थित है। प्रार्थी कम्पनी का मुख्य व्यवसाय पत्थर कोटा स्टोन का दोहन व उत्पादन कर विक्रय करने का है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी कम्पनी को रामगंजमंडी तहसील क्षैत्र के राजस्व ग्रामो में 9.166 वर्ग किलोमीटर का खनन क्षैत्र स्वीकृत किया हुआ है। प्रार्थी कम्पनी एक विधिक व्यक्ति है, जिसकी ओर से यह प्रार्थनापत्र पावर आफ एर्टोनी होल्डर द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत

Scanned by CamScanner

किया जा रहा है। पावन आफ एर्टानी को प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यो एवं परिस्थितियों की जानकारी हैं।

2 यह कि माल ग्राम कुभंकोट तहसील रामगंजमंडी में पुराने खसरा नं 39 की रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि पूर्व खातेदार बीरमलाल पुत्र पन्ना मेघवाल अप्रार्थी कम 2 के खाते दर्ज रही है। उक्त भूमि को अप्रार्थी कम 2 द्वारा जर्ये पजीकृत विकय पत्र अप्रार्थी कम 3 को विकय कर दी गइ थी। जिसके नामांतरण को नोट खाता संख्या 96 में जमाबंदी सम्वत 2057 से 60 में दर्ज हे।

3 यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि प्रारंभ से ही प्रार्थी कंपनी के स्वीकृत लीज क्षैत्र में स्थित रही हैं। इसलिये भूमि के खातेदार अप्रार्थी कम 3 ने प्रार्थी कम्पनी से उपरोक्त भूमि का समुचित मुआवजा प्राप्त कर उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी कम्पनी को खनन एवं खनन सम्वधित अन्य कार्य करने हेतु दिनांक 31/5/2001 को पंजीकृत सहमति प्रदान की थी। अप्रार्थी कम 3 द्वारा प्रार्थी कंपनी के हक में दिनांक 31/5/2001 को सहमति पत्र के आधार पर नामांतरण स0 5 दिनांक 7/11/2005 से उपरोक्त भूमि राजस्व अभिलेख जमावंदी ग्राम कुंभकोट से सम्वत 2057 –60 में प्रार्थी कम्पनी के हक में खनन कार्य करने की सहमति से हुई का नोट का अंकन हल्का पटवारी द्वारा दर्ज कर दिया गया था । तबसे उक्त भूमि पर प्रार्थी कम्पनी खनन एवं अन्य सम्वंधित कार्य करने हेतु काबिज चली आ रही है।

4. यह कि अभी हाल ही में भू प्रवंध विभाग द्वारा रामगंजमंडी तहसील क्षैत्र के राजस्व ग्रामो का भू संरक्षण कर भू प्रवंध किया गया था । उक्त भू प्रवंध व पुनः सर्वेक्षण के उपरांत ग्राम कुभकोट के पुराने खसरा नं 39 की रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि का नया खसरा नं 246 कायम कर रकबा 0 19 हैक्टयर दर्ज किया गया है परंतु भू प्रंवध विभाग द्वारा पुनः सर्वेक्षण के पश्चात नये राजस्व अभिलेख

Scanned by CamScanner

में अप्रार्थी कम 3 के हक में स्वीकृत नामांतरण न 513 ग्राम कुंभकोट का अमल दरामद नही किया गया है। जिसकी वजह से नये राजस्व अभिलेख में खसरा न0 246 की रकबा 0 19 हैक्टेयर भूमि भू प्रबंध विभाग के अधिकारियो की त्रुटि से पुनः विकेता अप्रार्थी कम–2 के खाते दर्ज हो गयी हे और इसी त्रुटि के कारण राजस्व अभिलेख अशुद्व हो गया है व नये राजस्व अभिलेख में प्रार्थी कंपनी के हक में सम्वत 2057 से 60 में खनन कार्य की सहमति के नोट के अंकन को भी दर्ज नही किया गया है। जबकि अप्रार्थी कम 3 द्वारा प्रार्थी कम्पनी के हक में आलेखित पंजीकृत सहमति वर्तमान में भी प्रभावशील है।

5 यह कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा दौराने भू सर्वेक्षण की गयी उपरोक्त त्रुटि की वजह से राजस्व अभिलेख जमाबंदी ग्रम कुभकोट के नये खसरा नं 246 का इंद्राज अशुद्व हो गया है जिसे माननीय न्यायालय की सहायता से शुद्व करवाया जाना आवश्यक हो गया है।

6 यह कि भू प्रबंध विभाग द्वारा की गयी त्रुटि की जानकारी होने पर प्रार्थी कंपनी द्वारा दिनांक 27–8/15 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार साहब रामगंजमंडी के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त त्रुटि को जर्ये शुद्वी पत्र दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया गया था। परंतु उनके द्वारा भू प्रबंध की त्रुटी को सक्षम न्यायालाय से दुरूस्त करवाने का निर्देश देने पर प्रार्थी कम्पनी को माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

7 यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से प्रार्थन पत्र का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

8 यह कि प्रार्थनापत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम कुम्भकोट तहसील रामगंजमंडी के नये खसरा न 246 रकबा 0 19 हैक्टयर भूमि के राजस्व अभिलेख जमाबंदी में नामान्तरण न0 513 एवं नामान्तरण सं 05 दिनांक 7/11/2005 ग्राम कुभकोट का अमल दरामद किया जावे एवं सम्वत 2057 से 2060 की जमाबदी में प्रार्थी कपनी के हक में खनन कार्य की सहमति के सम्बंध में दर्ज किये गये नोट के अंकन के अनुसार नये राजस्व अभिलेख में भी प्रार्थी कम्पनी के हक में खनन कार्य की सहमति के नोट का अंकन कराया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जावे।

अन्य कोई न्यायोचित सहायता हो वह भी प्रार्थी कम्पनी को अप्रार्थीगण से दिलवायी जावे।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये।

1. प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल ग्राम कुम्भकोट
2. नकल जमाबंदी ग्राम कुम्भकोट संवत 2053–56 खाता नम्बर 43
3. नकल जमाबन्दी ग्राम कुम्भकोट संवत 2057–60 खाता नम्बर 96 मय नोट नामान्तरकरण 513 व 5
4. नकल जमाबन्दी ग्राम कुम्भकोट संवत 2070–73 खाता नम्बर 207
5. प्रमाणित प्रति नामा0 नम्बर 43 ग्राम कुम्भकोट
6. प्रमाणित प्रति रजिस्टर्ड सहमति पत्र उप पंजीयक रामगंजमण्डी दिनॉक 31.05.2001 पुस्तक सं0 1 जिल्द संख्या 74, में प्रष्ठ संख्या 271 क्र0 सं0 271 पर पंजीबद्व
7. दिनॉक 20.8.2015 को तहसीलदार रामगंजमण्डी को दिये गये प्रार्थना पत्र एवं उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा पत्रॉक 8099 दिनॉक 21.08.2015 जारी किया गया उक्त प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति

Scanned by CamScanner

8. प्रमाणित प्रति रिपोर्ट पटवारी कुम्भकोट दिनॉक 01.09.2015

9. छायाप्रति पावर ऑफ अटार्नी 21.6.2010 किता 3

प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति० नम्बर 3 की और से श्री धीरज गुंप्ता विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिपक्षी नम्बर 1 की और से निम्न जवाब प्रस्तुत किया गया।

1 बिन्दु संख्या 1 वादी से सम्बधित

2 बिन्दु संख्या 2 पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी प्रतिलिमि सम्वत 2053–56 अनुसार ग्राम कुंभकोट के खसरा नं 39 रकबा 1 बीधा 3 बिस्वा खाता सं 43 पर धीसीबाई पुत्री मोती कौम चमार सा0 देह के नाम से दर्ज थी जिस पर नामा. सं 478 से मृतक धीसीबाई के स्थान पर बीरम पुत्र पन्ना लाल मेघवाल का नाम दर्ज का नोट अंकित है। एवं साथ ही नामा0 नं 513 से वीरम के वजाय खरीददार भैरूलाल पुत्र रूपलाल कौम मेधवाल सा. देह के खाते दर्ज करने की स्वीकृति का नोट अंकित हे।

3 बिंदु संख्या 3 में पत्रावली के साथ संलग्न छाया प्रति सम्वत 2057–60 जमाबंदी खाता सं 96 पर खसरा नं 39 से रकबा 1 बीधा 3 बिस्वा वीरम पुत्र पन्ना जाति चमार के नाम दर्ज है। नामा. सं 513 से भैरूलाल पुत्र रूपलाल कौम मेघवाल सा0 देह का नोट अंकित है व नोट संख्या 5 दिनांक 17/11/2005 तहसील आदेश कमांक एल आर/510/05/914 दिनांक 17/11/05 से खसरा नं 39 की 1 03 पर रजिस्ट्री सहमति पत्र पंजीयन कंमाक 271 दिनांक 31/5/05 से ए एस आई कंपनी को खनन कार्य करने की स्वीकृति का नोट अंकित हे।

Scanned by CamScanner

4 बिंदु सख्या 4 पत्रावली के साथ संलग्न जमाबंदी 2070 –73 की खाता सं0 207 मे वीरम लाल पुत्र पन्नालाल मेघवाल सा0 देह खसरा नं 246 रकबा 0 1900 है0 भूमि दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षैफल खसरा नं 246 गत खसरा न0 39 रकबा 1 बीधा 3 बिस्वा बना है।

5 बिंदु सं 5 माननीय न्यायालय से सम्बंधित है।

6 बिंदु सं 6 वादी से संबधित है।

7 बिंदु सं 7 माननीय न्यायालय से संबधित है।

8 बिंदु सं 8 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है।

जवाब सरकार शामिल मिसल किया गया। प्रतिपक्षी नम्बर 3 को अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त एवं युवित–युक्त अवसर दिये गये। प्रतिपक्षी नम्बर 3 द्वारा बावजूद समयक अवसर तथा ऑन कॉस्ट अवसर लेने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया लिहाजा जवाब प्रतिपक्षी नम्बर 3 बंद किया गया। प्रतिपक्षी नम्बर 2 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा प्रतिपक्षी नम्बर 1 के जवाब का आलम्बन भी लिया।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथन तथा तथ्य , वॉच्छित अनुतोष , प्रतिपक्षी नम्बर 1 के जवाब एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विधिसंगत विचार किया गया।

मूलतः हस्व जमाबन्दी ग्राम कुम्भकोट 2053–56 खाता नम्बर 43 आराजी खसरा नम्बर 39 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा घीसीबाई पुत्री मोती कोम चमार के नाम

Scanned by CamScanner

पर दर्ज था , जो घीसीबाई के मरने के बाद अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम पर दर्ज किया गया। उक्त आराजी को अप्रार्थी नम्बर 2 द्वारा अप्रार्थी नम्बर 3 को बेचान कर दिया। तथा उक्त भूमि अप्रार्थी नम्बर 3 के नाम पर बतौर खातेदार दर्ज हो गई। हस्व मिलान क्षेत्रफल उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 39 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा के हाल नम्बर 246 रकबा 0.19 हैक्टर बाद बन्दोबस्त पैमूद किये गये है

आगामी जमाबन्दी 2057–60 खाता नम्बर 96 पर खसरा नम्बर 39 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा अप्रार्थी नम्बर 3 के नाम पर बतौर खातेदार दर्ज है तथा उक्त खाते में " *नामा न0 5 17.11.2005 तहसील आदेश कमॉक एलआर/510/05/ 9141 दिनॉक 17.11.2005 से खसरा नम्बर 39 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा पर रजि0 सहमति पत्र कमॉक पु0सं0 1 जिल्द सं0 74 प्र0सं0 271 कम सं0 271 दिनॉक 31.5.05 से A.S.I कम्पनी को खनन कार्य करने की सहमति हुई* "। का नोट अंकित है।

उक्त भूमि के बाद बन्दोबस्त नवीन नम्बर 246 रकबा 0.19 हैक्टर को सेटलमेंन्ट के बाद अप्रार्थी नम्बर 3 के बजाय पूर्ववत अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम पर दर्ज कर दिया गया जबकि अप्रार्थी नम्बर 2 उक्त भूमि को अप्रार्थी नम्बर 3 को बेचान कर चुका है तथा अप्रार्थी नम्बर 3 प्रार्थी को खनन हेतु रजिस्टर्ड सहमति दे चुका है।

उक्त भूमि को सेटलमेंन्ट के दरम्यान अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम दर्ज किया जाना पूर्णतया अनुचित प्रतीत होता है। बन्दोबस्त विभाग को किसी भी खातेदार के स्वत्व में परिवर्तन का विधिक अधिकार नहीं है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा उक्त भूमि के कम में किये गये परिवर्तन अधिकार क्षेत्र से परे जाकर किये गये है जो उचित नहीं है। प्रकरण वर्णित भूमि के संबंध में सेटलमेंन्ट द्वारा किये गये उक्त त्रुटिपूर्ण कार्य तथा उसके परिणामस्वरूप किये गये त्रुटिपूर्ण अंकन को विधि के

सुसंगत प्रावधानों की रोशनी में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन को पूर्ववत शुद्व किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंशतः स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम कुम्भकोट के हाल आराजी खसरा नम्बर 246 रकबा 0.19 हैक्टर को अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम से हटाया जाकर अप्रार्थी नम्बर 3 के नाम पूर्ववत् दर्ज किया जावे तथा उक्त भूमि पर पूर्व नामान्तरकरण संख्या 5 दिनॉक 17.11.2005 का सहमति का नोट पुनः दर्ज किया जावे।

अप्रार्थी नम्बर 1 को मय निर्णय की प्रति तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 23/08/2018 को मैरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

23/8/2018

(कृष्ण गौपाल जाजन)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner